

# FORM NO -III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर,

मुकाम

नागौर

प्रार्थीगण

अप्रार्थी

मुकेश पुत्र हरलाल जाति जाट, बनाम  
निवासी मोडीखुर्द, तहसील  
परबतसर, जिला नागौर वगैरह

नायब तहसीलदार भकरी

किस्म मुकदमा

स्थगन प्रार्थना पत्र

संख्या

...०५.

सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
28.02.2019	<p>वकील प्रार्थी ने यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास द्वारा मुकदमा संख्या 29/2017 सरकार बनाम मुकेश अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय दि. 30.01.18 की पालना में अप्रार्थी प्रार्थी को वादग्रस्त जायगा पर से बेदखल करने पर आमादा हैं, प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त जायगा पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त जायगा के संबंध में सीमाज्ञान हेतु आवेदन तहसीलदार परबतसर के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। इसलिए प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना पर अंतरिम रोक लगाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में मुकदमा संख्या 29/2017 सरकार बनाम मुकेश अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट प्रकरण में नायब तहसीलदार भकरी मौलास द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.01.18 की पालना एवं क्रियान्विति पर आगामी तारीख पेशी 01.04.2019 तक रोक लगाई जाती है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 01.04.2019 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर</p>	
1.4.19	<p>वकील प्रार्थी उपरो 8 प्रार्थी का नोटिस वादगणाल आ-मि-ई। प्रार्थना प-वलाख रोजीय प्रप्रण पर हो पत्रावली दिनांक 11.4.19 को पेश हो।</p>	
11.4.19	<p>वकील प्रार्थी उपरो 2 प्रार्थी की ओर से राज पेंकोकर उपरो जाट आदेश 28.2.19 की पालना आज्ञायी पेशी 15.4.19 तक बहाई जाती है। पत्रावली दि. 15.4.19 पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर</p>	
15.4.19	<p>वकील प्रार्थी उपरो वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र, जिस अजील के साथ प्रस्तुत किया गया है वह अप्रार्थी निर्दिष्ट हो जाने से अब इस प्रार्थना पत्र का कोई अभाव नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र स्वार्जित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p style="text-align: right;">(दिनेश कुमार यादव) जिला कलक्टर, नागौर</p>	